54

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस.एस. अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक-604-तीन/2008 विरूद्ध आदेश दिनांक 22-04-2008 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का प्रकरण क्रमांक 442/निग./2006-07

.....

1- ददन पटेल तनय मंगलदीन कुर्मी
2- छोटेलाल तनय मंगलदीन कुर्मी
निवासीगण- ग्राम पटेहरा तहसील हनुमना
जिला- रीवा (म.प्र.)

----------आवेदकगण

विरूद्ध

१- रामलल्लू पटेल तनय गोपी पटेल
२- बाबादीन पटेल गोपी पटेल
३- चन्दशेखर पटेल तनय बाबादीन पटेल
निवासीगण- ग्राम पटेहरा तहसील हनुमना
जिला-रीवा(म.प्र.)

----------अनावेदगण

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/4/18 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-04-2008 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा नायब तहसीलदार सर्किल पहाड़िया के आदेश दिनांक 5-09-06 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी हनुमना के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जहॉ पर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 14-09-06 को प्रकरण पंजीबद्ध कर आवेदकगण दवारा प्रस्तत स्थगन

आवेदन पत्र निरस्त किया है । अनुविभागीय अधिकारी इसी आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर कलेक्टर रीवा के आदेश दिनांक 26-02-07 द्वारा आवेदकगण की निगरानी निरस्त की, इसके विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त रीवा ने दिनांक 22-04-2008 के द्वारा निगरानी बलहीन होने से निरस्त की । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्धयह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई ।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया ।

4/ अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

5/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों पर विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदकगण का आवेदन पत्र इस आधार पर निरस्त किया है कि तहसील न्यायालय के निर्माण कार्य को रोकने के बावजूद भी आवेदकगण द्वारा मकान का निर्माण कार्य किया गया है। आवेदकगण पूर्व के पुस्तैनी मकान बना होना प्रमाणित करने में असफल रहे । इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत स्थगन आदेश को निरस्त किया । आवेदकगण द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश के बावजूद भी निर्माण कार्य किया, जिस पर स्थगन न देते हुये स्थगन आवेदन निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटी नहीं की गई है। अनुविभागीय अधिकारी ने सकारण एवं उचित आदेश की पुष्टि अपर कलेक्टर रीवा और अपर आयुक्त रीवा द्वारा भी की गई है, जिसमें कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है । तीनों अधीनस्थ न्यायलयों के समवर्ती निष्कर्ष होने से उनमें हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण का गुण-दोषों पर निराकरण होना है। ऐसी स्थिति में निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस.एस. अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश
ग्वालियर,